

न्यायालय अंचल अधिकारी, कोडरमा


भूमि सत्यापन अभिलेख सं०.....336...../2022

आवेदक प्रदीप कुमार सिंह पिता -महेन्द्र प्रसाद सिंह, 2 संतोष कुमार सिंह पिता स्व० बनवारी सिंह 3 सिदेश्वर सिंह पिता स्व० गोपाल सिंह, साकिन-अडुडी बगला, पोस्ट-झुमरी तिलैया, थाना- तिलैया, जिला-कोडरमा द्वारा निम्न भूमि का सत्यापन हेतु आवेदन दिया गया है:-

मौजा	थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा	किस्म
तिलैया	244	264	7698	01 डी०	रैयती

अतः मूल आवेदन पत्र हल्का राजस्व उप निरीक्षक को हस्तगत कराए एवं जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त करें। साथ ही आम इस्तहार निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक 09/12/2022 को प्रस्तुत करें।



09/12/22
अंचल अधिकारी,
कोडरमा

अभिलेख उपस्थापित।

आम इस्तहार का तामिला प्राप्त। किसी के द्वारा आपत्ति नहीं की गयी है।

हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-तिलैया, थाना नं०-244, खाता सं०-264, प्लॉट सं०-7698, रकवा-01 डी० भूमि संतोष कुमार सिंह पिता स्व० बनवारी सिंह, श्री सिदेश्वर सिंह, पिता स्व० गोपाल सिंह, श्री प्रदीप सिंह पिता महेन्द्र सिंह के नाम से पंजी-II के पृष्ठ सं०-02 भाग सं०-49 पर जमाबन्दी दर्ज है। प्राधिकार क्षेत्र में दा० खा० वाद सं०-1798/2014-15 दर्ज है। उक्त भूमि केवाला सं०-1096 दिनांक 20.02.2015 द्वारा प्राप्त है। उक्त भूमि रैयती खाते की है। लगान रसीद वर्ष 2021-22 तक निर्गत है। शपथ पत्र सं०-203 दिनांक-05.08.2022 (नोटरी पब्लिक, कोडरमा) की मूल प्रति संलग्न किया गया है मौजा-तिलैया, थाना नं०-244, खाता सं०-264, प्लॉट सं०-7698, रकवा-01 डी० भूमि निबंधन हेतु स्वीकृति दी जा सकती है।

अतः राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर प्रतिवेदित किया जाता है कि मौजा-तिलैया, थाना नं०-244, खाता सं०-264, प्लॉट सं०-7698, रकवा-01 डी० भूमि निबंधन योग्य है। यद्यपि निबंधन के उपरान्त भी Bihar Tenants Holding (Maintenance of Records) Acts 1973 के अन्तर्गत प्राप्त नामांतरण का अधिकार अंचल अधिकारी के न्यायालय का सुरक्षित रखेगा एवं नामान्तरण के पूर्व अगर कोई वैध आपत्ति होती है तो विधि सम्मत निर्णय लेने के लिए अंचल अधिकारी का न्यायालय स्वतंत्र होगा।


09/12/22
अंचल अधिकारी,
कोडरमा